मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (मेटाबोदली आयरन ओर माईन) ग्राम–मेटाबोदली, तहसील–पखांजूर जिला–कांकेर (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन 0.05 मिलियन टन/वर्ष से 1.0 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

दिनांक 05/10/2016 का कार्यवाही विवरण।

मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (मेटाबोदली आयरन ओर माईन) ग्राम–मेटाबोदली, तहसील–पखांजूर जिला–कांकेर (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन 0.05 मिलियन टन/वर्ष से 1.0 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानानुसार लोकसुनवाई दिनांक 05.10.2016 (05 अक्टूबर 2016) दिन बुधवार प्रातः 11.00 बजे, स्थान ग्राम–चारगांव, तहसील–पखांजूर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में कराई गई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों को मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (मेटाबोदली आयरन ओर माईन) ग्राम–मेटाबोदली, तहसील–पखांजूर जिला–कांकेर (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन 0.05 मिलियन टन/वर्ष से 1.0 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर समाचार/नई दुनिया समाचार पत्र के अंक में दिनांक 03.09.2016 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के समक्ष निर्धारित समयावधि में श्री वी. सुनंदा रेड्डी प्रेसिडेन्ट, धारीथरी पर्यावरण परिरक्षण संस्था नालगोण्डा, तेलंगाना से ई–मेल के द्वारा आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ है। लोक सुनवाई के दौरान 20 लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए।

......................2

लोकसुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लोकसुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के **श्री सुशांत कुमार मोईत्रा (प्रेसिडेंट, कार्पोरेट अफेयर) एवं श्री मोहन रहंगडाले (उद्योग प्रतिनिधि)** ने परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना के तहत् मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (मेटाबोदली आयरन ओर माईन) ग्राम—मेटाबोदली, तहसील—पखांजूर जिला—कांकेर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित उद्योग के क्षमता विस्तार से उत्पन्न होने वाले जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायो की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये :—

1. **श्री प्रदीप कुमार देहारी, ग्राम—चारगांव** — हमारे चारगांव के लोग शिक्षित बेरोजगार हैं। यहां पर दूसरे गांव के लोगों को गार्ड की नौकरी दिये हैं। हम शिक्षित हैं। हमें नौकरी देने की कृपा करें। गांव के शिक्षित बेरोजगार को ही नौकरी दें।
2. **श्री दिनेश कुमार दर्रो, ग्राम—चारगांव**— हम सभी मजदूरों का समर्थन है। हम सब कंपनी का साथ देंगे।
3. **श्री सुनंदा रेड्डी, एन्वारमेंटलिस्ट, हैदराबाद**— मैं इण्डस्ट्री का सपोर्ट करता हूँ। लेकिन पर्यावरण के प्रति भी ध्यान देना है। मेरा सुझाव उद्योग के विकास के लिए दे रहा हूँ। यहां के 10 कि.मी के दायरे का स्वास्थ्य के संबंध में तथा कृषि के संबंध में अध्ययन करने की आवश्यकता है। आसपास के गांव के सड़कों का उन्नयन करना, उद्योग में आसपास के गांवों के बेरोजगारों को रोजगार दें। मेरा निवेदन है कि कम्पनी विकास कार्य के लिए काम करें।
   उपरोक्त वक्ता द्वारा लिखित में भी पत्र दिया गया है।
4. **श्री भुनेश कुमार देहारी, नयापारा, चारगांव**— मैं मजदूरी, निको कंपनी में करता हूँ। हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। हम किसान लोग का भी रोजी रोटी चलती है।

.......................3

5. **श्री धर्मुराम आंचलें, चारगांव**— पिछले साल 2015 में 4 लोगों को गार्ड में नौकरी दिये, बाद में निकाल दिया गया था। ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को रख लिया गया है।
6. **श्री राजेश रंगारी, सलिहा पारा, भानुप्रतापपुर** — मेरी आपत्ति, आवेदन के माध्यम से दर्ज करता हूँ कुल 9 प्वाईन्ट में है। आवेदन संलग्न है। इनके द्वारा सभी 9 प्वाईन्ट पढ़कर भी दर्ज की गई है।
7. **श्री विनोद कुमार मंडावी, बाजार पारा, चारगांव**— कम्पनी के साथ हूँ, कम्पनी में कार्य कर रहा हूँ।
8. **श्री सियाराम रामटेके, पूर्व सरपंच, चारगांव**— हम सभी यहां पर आये है उसका उद्देश्य समझाए, पर्यावरण दूषित होता है। सभी जानते है। जहां पर उद्योग लगते हैं वहां पर प्रदूषण होता है। खदान यहां पर बहुत साल से चल रही है। यहां पर चारगांव से ज्यादा मेटाबोदली का अधिकार है। जितना पेड़ काटा जाये उससे ज्यादा पेड़ लगाना होगा। यहां पर पहले आवगमन की सुविधा होनी चाहिए, जब यहां अभी यह हाल है तो आगे क्या हाल होगा? अभी जो गाड़ी से परिवहन होता है। खुला परिवहन किया जा रहा है। किसी गाड़ी में तिरपाल नहीं लगा रहता है। यहां पर पहले तो शिक्षा हेतु अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम की नर्सरी स्कूल खोला जाय। यहां का हर परिवार शिक्षित नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधा कम्पनी द्वारा किया जाय। लगभग 6 पंचायत है जो प्रभावित है। कम्पनी पेयजल की व्यवस्था में नल जल योजना की मांग करता हूँ, मेटाबोदली एवं चारगांव के चौक में सोलर वाटर टैंक स्थापित करें। मेरी मांग है। पहुँच विहीन गांव होने के लिए इस क्षेत्र की जनता के लिए उपरोक्त आवश्यकताएं, आवश्यक है। कम्पनी से अनुरोध करता हूँ कि जिस किसी बेरोजगार को प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हे काम दिया जाये। यहां पर बाहर के लोगों को न रखा जाय। यहां आद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) खुलना चाहिए। तथा हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार देवें। क्षेत्र के विकास का ध्यान देवें। कृपया हमारी मांग को ध्यान दें। हमारे क्षेत्र के लोगों के तरफ से सहमत हैं कि क्षमता विस्तार हो। हम लोगों का समर्थन बना रहेगा।
9. **सुन्दरू राम उसेण्डी, चारगांव** — हम सभी लोग कम्पनी के साथ हैं। कम्पनी हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचें।

........................4

10.**श्री बजारू राम आचले, चारगांव** – हमारे खेत में दो साल से पानी आ रहा है। कम्पनी वाले नाली बनाने के लिए बोले थे। अभी तक नहीं बनाए। खदान में 350 मजदूर लगे हैं। और बढ़ाना चाहिए।

11.**श्री प्रेम लाल नेताम, चारगांव** – हमारे खेत जा रहे है। जंगल से लकड़ी नहीं मिलेगी। 2015 के काम का पैसा नहीं मिला है।

12.**श्री रमेश कुमार कुमेटी, कड़में**– खदान में दोहन की क्षमता बढ़ाई जा रही है तो और पेड़ पौधें लगाने चाहिए मजदूरों की क्षमता बढ़ानी चाहिए सी.एस.आर. के तहत् जो भी राशि है इस क्षेत्र में ही लगनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के विकास कार्य होना चाहिए।

13.**श्री हेमन्त कुमार ध्रुव, जनपद सदस्य, भानुप्रतापपुर**– प्रशासन को धन्यवाद देना चाहुँगा कि जहां पर माइन्स है वहां पर लोकसुनवाई की जा रही है। जयसवाल निको इण्डस्ट्री 2001 से खनन कार्य कर रही है। 50 हजार टन से 10 लाख टन खनन हेतु प्रस्ताव के बारे में कहुंगा वृक्षों की कटाई से स्थानीय प्रजाति के वृक्ष नष्ट होगें। एक वृक्ष कटने से कितने वृक्ष लगेंगे। हम लोग जंगल पर आश्रित हैं तो हम लोग प्रभावित होंगे। वन जीव भी प्रभावित होंगे। मिट्टी का कटाव होगा। वर्षा ऋतु में दूषित पानी हमारे खेतों में आएगा, क्या व्यवस्था होगी? माइन्स खुलने से रोजगार तो मिलेगा लेकिन कम्पनी को यहां के लोगों को ट्रेनिंग दे। कुशल रोजगार दिया जाय। रायल्टी का पैसा स्थानीय पंचायत के विकास कार्य में लगाना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि के समिति के अनुसार उपयोग किया जाए। इनके द्वारा एकाध शिविर, छोटी मोटी गतिविधियाँ कर खानापूर्ती किया गया है। वादे इतने किये जाते है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। जो विकास करना था अभी तक पूरे नहीं हुए, यहां पर पांचवी सूची लागू है। क्या उसका पालन किया जाता है? उद्योग खुलने से रोजगार तो प्राप्त होता है लेकिन नुकसान भी होता है मैं यह नहीं कहता कि उद्योग न लगे लेकिन वादे अनुसार काम भी करना चाहिए।

14.**श्री उजार सिंह दुग्गा, चारगांव** – खदान में काम करने जाते है मजदूर, लेकिन और मजदूरों को बढ़ाया जाए।

15.**श्री हितेन्द्र कुमार, चारगांव**– बरबसपुर के माईन में जो वादा किये हैं। वह पूरा नहीं किया गया है। पहले आई.टी.आई. प्रशिक्षण हेतु एक ही बार ले गये हैं दुबारा नहीं ले गये हैं। पौधे लगाना जरूरी है।

.......................5

16.**श्री सामनाथ, चारगांव**— कम्पनी से यही अनुरोध है कि जो लोग जंगल मे काम करने जाते है उन्हे जूता, हेलमेंट, ड्रेस सभी देना चाहिए, सड़क बन जाय तभी माल ढुलाई का काम करें। पेड़ काटा गया है तो एक पेड़ के स्थान पर 100 पेड़ लगाना चाहिए। गांव की समस्या को हल करना चाहिए।

17.**श्री मानिकलाल उसेण्डी**— पिछले तीन साल से कम्पनी जो रोजगार दे रहा है। सभी बेरोजगार भाईयों को बोलता हूँ कि इधर उधर न भटकें कम्पनी में काम करें। पानी की समस्या का समाधान किया गया है। कम्पनी का समर्थन करता हूँ।

18.**श्री राजाराम दुग्गा, बुहड़पारा सुरेवाही**— — गांव में जितना हैण्ड पम्प है सभी को ठीक करूंगा, लाईट की व्यवस्था करूंगा बोले थे नही किये।

19.**श्री सोमारू राम दुग्गा, बुहड़पारा सुरेवाही**— हमारे बुहड़पारा सुरेवाही में बोरिंग नहीं है कम्पनी के तरफ से या कलेक्टर शासन के तरफ से एक बोरिंग की सुविधा करने का निवेदन है।

20.**श्री शोएब अहमद, कोरर, जिला महासचिव युवक कांग्रेस**— मैं बरबसपुर एवं मेटाबोदली के बारे में कुछ समस्या के बारे में ध्यान दिलाऊँगा। हमारे पहाड़ों से इतना लोहा निकाला जा रहा है। यहां के लोग दूसरे स्थानों में जाकर गुलामों (बंधुआ मजदूर) बनकर काम कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे जो युवा हैं उनके पलायन रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। सभी लोगों को रोजगार दिया जाए। जिससे पलायन न हो। तथा माईन्स जितना भी खनन कर रही है। पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई के लिए पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक है।

21.**श्री महेश कुमार साहू, चारगांव**— निको कम्पनी यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम, रोजगार दे। महिलाओं को सिलाई मशीन दे जिससे महिलाओं का विकास हो।

22.**श्री नरेश कुमार उईके, ग्राम—खुंटगांव**— कोयलीबेड़ा पंचायत के सभी आश्रित गांवों के लोगों को रोजगार मिले। यह चारगांव माईन्स कोयलीबेड़ा ब्लाक के अन्तर्गत आता है जिसमें से आस—पास के ग्राम पंचायतों को ही प्राथमिकता है हम यह चाहते हैं कि कोयलीबेड़ा ब्लाक के जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, वहीं के सभी ग्राम पंचायत के शिक्षित बेरोजगार को रोजगार मिले। हम आशा करते हैं। कोयलीबेड़ा ब्लाक के

.......................6

सभी ग्राम पंचायतों के युवकों को रोजगार मिले। हम नियमित काम करना चाहते है। जयसवाल निका कम्पनी हमारे हितों के बारे में सोचें। पहाड़ी में चढ़ने के पश्चात् हेल्पर पानी के लिए इधर–उधर भटक रहे हैं। पिछले वर्ष 2015 में माह सितम्बर अक्टूबर का पैसा वितरण नहीं हुआ। अतः आप सभी से निवेदन है कि यह कम्पनी में शिकायत आने न पाये। धन्यवाद।

23. **श्री हरीश चन्द देहारी, भाटगांव**– कम्पनी 2001 से जो वादा किए थे अभी तक पूर्ण नहीं किया है। जो खेत जा रहे हैं। पहाड़ी के नजदीक से जो खेत है। उसकी समस्या हल करेंगे उसके बाद से इस रोड़ का उपयोग करें। पहले रोड़ पक्की करें उसके बाद परिवहन करे। रोड़ खराब होने के कारण हम गांव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी है। जिसका जमीन जा रहा है उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। जिसका जमीन नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यहां के लोग अशिक्षित है किसी को पता नहीं कि जमीन जाने से क्या किया जाए। पहले रोड़ एवं खेत के बारे में निर्णय करें। इसके बाद खदान से माल ले जाने का काम करें।

24. **श्री कार्तिक प्रताप सिंह, चारगांव**–जन सुनवाई में जो लोग बाहर बैठें हैं वे यहां पर बैठते तो पता चलता, सभी लोग बिना जूता एवं ड्रेस के काम करते हैं। भविष्य में खदान से निकलने वाले पानी को खेत में नुकसान बारे में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। कम्पनी पहले रोड पर ध्यान दें इसके बाद डिस्पेच करे। 2015 में जो गाड़िया जली उस समय का किसी भी मजदूर का वेतन नहीं दिया गया है। 200 से 300 लोगों का मजदूरी अभी तक नही दी गई है। 2010 में पखांजूर लोक सुनवाई के समय शिक्षा प्रशिक्षण, रोजगार का वादा किया गया था तो पूरा नही किया गया अन्दर के गांवों में विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। आप तो केवल पत्थर निकालना चाहते है। किसी मजदूर की पीड़ा का अहसास होता है क्या? जो भी गांव है वहां के बच्चों को मूलभूत सुविधा देना होगा, जिनके खेतों का नुकसान हो रहा है उनको क्या व्यवस्था किया गया है? मै कम्पनी से दरखास्त करूँगा कि जो लेबरों का पेमेन्ट है तो 259 से 500 करें। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर पेमेन्ट भी बढ़ायें। समिति के लोग कभी भी लेबरों के बारे में नहीं सोचते है।

.........................7

25.**धनराज ध्रुवा, पोरोण्डी** – मैं चाहता हूँ कि जितना भी रोजगार मिलता है तो किसान भाईयों को भी सलाह देवें बकरी, मुर्गी आदि का पालन हेतु प्रशिक्षण करें, बीमारी के इलाज के लिए भी सिखाएं। कृषि के क्षेत्र में भी सोचें।

26.**कृष्ण कुमार देहाड़ी, सभापति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, जनपद सदस्य जनपद क्षेत्र क्रं. 06, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला–कांकेर** – जनसुनवाई कार्यक्रम जयसवाल निको कम्पनी के संबंध में कुछ सवाल प्रशासन से करना चाहुंगा, चारगांव माईनिंग प्रारम्भ हो चुका है कब हुआ हमें मालुम नहीं। इससे पहले पखांजूर में भी लोकसुनवाई रखा गया था तो हमें सूचना नहीं मिला। क्यों? जन प्रतिनिधि आयेगें तो चिल्लाएगें, निको कम्पनी को उखाड़ कर फेंके, यहां से कितना माल बाहर जा चुका है। आज तक कितना विकास काम किया गया है। यहां के लोगों की क्या–क्या मांग है। अंतागढ़ से भैंसासुर तक जो रोड़ बनी है। वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत् बनी है। कोई निको कम्पनी नहीं बनाई है। आप लोगों को झांसा देने का काम किया जा रहा है। यहां स्कूल रोड, मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए, माईनिंग खोलना है तो खोले, लेकिन क्षेत्र के बेरोजगारों को बीमा सहित रोजगार प्रदान करें। बाहर के लोग ठेका ले रहे हैं नहीं चलेगा। यहां के स्थानीय लोगों का ही वाहन उपयोग किया जाए। हमारे क्षेत्र के ठेकेदारों की कमी नहीं है। बिहार के लोगों को क्यों काम दिया जा रहा है। यह स्थल हमारे देवी–देवताओं का है। माईनिंग चालु होगी तो पर्यावरण खराब होगा, खारा पानी आएगा तबियत बिगड़ेगी। क्या व्यवस्था किया गया है? कम्पनी द्वारा आज तक कोई सुविधा नहीं किया है जब तक पूरी सुविधा नही करेगी। तब तक काम बन्द रखना होगा। यह कार्यक्रम मेटाबोदली में होना चाहिए। यहां पर क्यों हो रहा है। काम करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है। तो क्या व्यवस्था किया गया है। क्षेत्र के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया? कारण क्या है? इनके द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया गया है बतायें। फारेस्ट विभाग बताये कि माईन में कितने पौधे काटे गये हैं। तथा उसके बदले कितना पेड़ लगाये गये हैं। आप व्यवस्था कब तक करेंगें। लिखित में बताए। आस–पास के खेंत का नुकसान होगा। आस–पास के जितने जैसे शिक्षित बेरोजगार है। उस हिसाब से रोजगार देना होगा।

27.**पंकज वाधवानी, मेन चौक, भानुप्रतापपुर** – मेटाबोदली के जनसुनवाई में कहुंगा कि माईन्स चालु हो विकास हो, यहां पर 350 मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। मेरी मांग है कि 1100 मजदूरों को काम दिया जाए जिससे आसपास के क्षेत्र का विकास होगा। पेयजल स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का विकास करे। बिना विकास के लोगों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, माईन्स में स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। रोड़ जो खराब है उसका सुधार कार्य किया जाना चाहिए।

28.**अनिल चंदेल, अंतागढ़** – माइन्स के क्षमता वृद्धि के संबंध मे लोक सुनवाई में निर्णय आपको करना है। अंतागढ़ कोयलीबेड़ा का क्षेत्रवासी वन के ऊपर निर्भर रहते हैं। इस चारगांव के माइन्स से स्थानीय लोगों की की क्षति हुई है। स्थाई संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया था। उसका उपयोग वहां के जनता करती है। मजदूरों में भी भेदभाव किया जा रहा है। बाहर के मजदूरों को ज्यादा वेतन दिया जाता है। स्थाई लोगों को ही सीख देकर रोजगार देना चाहिए। रोड़ में क्षमता से अधिक लोड़ गाड़ी चलने से रोड खराब होगी। यहां के लोग वन उपज से अपना जीवन यापन करते है। यहां के आम आदमी मालिक बनेगा तभी खदान चालू होगा। गांव के लोगों को लाभ में हिस्सेदारी मिलना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज कराया गया, जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 1000 रही एवं उपस्थिति पत्रक में 273 लोगों ने हस्ताक्षर किया। उपस्थित जन समुदाय द्वारा क्षेत्र का विकास किये जाने, शिक्षा, स्थानियों को रोजगार, अस्पताल, सड़क, वृक्षारोपण आदि की शर्त के साथ परियोजना के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय लोकसुनवाई सम्पन्न किया गया।

05/11/12

(डॉ. सुरेश चंद्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

(बिपिन मांझी)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)